17-06-25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। फैसला वादी दावा बार वादी खारिज किया जाता है विस्तृत फैसला शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो नियम से बने।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GTCMS
2020/00405

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 198/2020 दिनांक 04.12.2020

बनवारी लाल पुत्र श्री श्योकरण जाति कुम्हार निवासी चक 6 सी.डी.आर. वार्ड नं0 9 सहारणी कुलचन्द्र, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — वादी —

बनाम

1. चन्दो देवी (फौत) पत्नी श्री श्योकरण
   1/1 राणी (फौत) पुत्री श्रीमति चन्दो देवी पत्नी जसवन्त
   1/1/1 कृष्णलाल पुत्र श्रीमति राणी पत्नी श्री जसवन्त जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/1/2 कालूराम पुत्र श्रीमति राणी पत्नी श्री जसवन्त जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/2 रोशनी पत्नी हरिराम पुत्री श्रीमति चन्दो देवी जाति कुम्हार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण —

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, एंव 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित :— 1. भगवानदत्त शर्मा (अभिभाषक वादी)
2. नायब तहसीलदार सूरतगढ़ (पैरोकार राज्य सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक :— 17.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई पक्षकार वादी के अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 कि मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान के खिलाफ दिनांक 29.04.2024 को उपस्थित ना होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश हुए प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध में दिनांक 23.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए गए प्रत्रावली का बाद बहस तर्कों के परिपक्ष में अवलोकन किया गया सक्षिप्त तथ्य पत्रावली इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस कथन के साथ पेश किया गया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वंत 2069—72 चक 4 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ खाता सं0 नया 41 पुराना 895 के प.नं. 1/25 मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8 13 ता 18 में 0.253 है0 प्रत्येक किला नं. 21/2 में 0.0120 है0 किला [illegible]/2 में 0.0120 है0 व किला नं. 23 ता 25 में 0.253 है0 प्रत्येक इस प्रकार [illegible] है0 में वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 चन्दोदेवी के नाम [illegible] 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर की खातेदारी भूमि जामबन्दी राजस्व रिकार्ड में है प्रतिवादी सं0 1 कि मृत्यु हो चुकी है उसके जायज वारिस वादी व प्रतिवादी नं0 1/1 व 1/2 है प्रतिवादी सं0 1/1 की भी मृत्यु हो चुकी है उसके जायज वारिस 1/1/1 व 1/1/2 प्रतिवादी है वादी ने वाद में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 चन्दो देवी ने अपने जीवन काल में अपने नाम अंकित

— लगातार 2 पर —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चक 4 जी.डी.एम पं.नं. 1/25 में अंकित 3.8190 है0 कमाण्ड भूमि में अपने नाम अंकित 1/2 हिस्सा की भूमि जुबानी रूप से वसीयत कर वादी को दे दी थी उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी इसलिए वे लिखित में अपनी भूमि की वसीयत नहीं करा सके थे। वादी का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त है चन्दो देवी की जुबानी वसीयत का ज्ञान व अपनी पुत्रीयो को बता चुकी थी अंकित काश्तकार चन्दो देवी द्वारा अपनी नाम की अंकित भूमि उक्त खाते में 1/2 हिस्सा की मोखिक वसीयत पूर्ण अधिकार सहित मुझ वादी को कि थी। उसी अनुसार वादी काबिज है और वर्तमान में चन्दो देवी कि मृत्यु उपरान्त पुरी भूमि पर काश्त कर रहा है चन्दो देवी के अन्य वारीसान चन्दो देवी की भमि में हिस्सा लेना भी नहीं चाहते क्यो कि बाद मृत्यु चन्दो देवी अधिकारो का प्रश्न उनके द्वारा नहीं किया गया है। वादी चक 4 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ पं.नं 1/25 में अंकित 3.8190 है0 कमाण्ड भूमि के समस्त भाग पर जिसमें चन्दो देवी का भी 1/2 हिस्सा शामिल है पर पूर्ण रूप से बतौर खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसलिए अंकित काश्तकार चन्दो देवी के 1/2 हिस्सा का नाम कलमजन कर वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने कि मांग की व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। साधारण समन सही रूप से प्रतिवादीगण पर तामिल ना होने से रजिस्टर भेजे गये जो वापिस आये इसके पश्चात पंजीकृत समन भेजे गये वह भी प्रतिवादीगण पर प्रभावी ना होने से समाचार पत्र समन भेजे जाकर सुचना करवाई गयी परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा सुनवाई के आदेश करते हुए तनकीयात निम्न प्रकार से कायम की गई :—

तनकी नं0 1. आया चक 4 जी.डी.एम के खाता सं0 41 नया 845 पुराना में अंकित पत्थ नं0 1/25 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 में 0.253 है0 प्रत्येक किला नं0 21/2 में 0.120 है0, 22 में 0.012 है0, 23 ता 25 में 0.253 है0 प्रत्येक कुल 3.8190 है0 में वादी का 1/2 हिस्सा एंव प्रतिवादी नं0 1 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित काश्तकार है ?
— वादी —

तनकी नं0 2. आया वादी चक 4 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ वादी ने तनकी नं0 1 में अंकित पत्थर नं0 1/25 की 3.8190 है0 कमाण्ड भूमि पर कब्जा काश्त है ?

— वादी —

तनकी नं0 3. आया प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु हो चुकी है व उनकी इच्छा वादी को अपने नाम से अंकित भूमि अपनी मृत्यु उपरान्त देने की इच्छा वादी व अन्य लोगो के सामने व्यक्त की थी ?
— वादी —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 4. आया वादी तनकी नं0 1 में वादी को मौखिक इच्छा अनुसार उसके (प्रतिवादी नं0 1) की अंकित भूमि के खातेदार कृषक कब्जानुसार घोषित होने के पात्र है ?
— वादी —

तनकी नं 5. अनुतोष

— लगातार 3 पर —

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकीयात कायत करने के पश्चात साक्ष्य लिये गये है वादी द्वारा स्वंय के एंव बनवारीलाल पुत्र सूरजाराम के शपथ पत्र पर ब्यान करवाये व वाद को पुष्ट करने के प्रयास किए गए बाद साक्ष्य तर्क सुने गये अभिभाषक वादी द्वारा जमाबन्दी के अनुसार अवलोकन करवाया साथ ही चन्दो देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की ध्यान दिलवाया व स्वतन्त्र गवाह बनवारीलाल पुत्र सुरजाराम के शपथ पत्र की और ध्यान दिलाकर वाद को पुष्ट होना बताते हुए वाद स्वीका करने की प्रार्थना की राज्य पक्ष की और से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की। पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व तर्को के परिपेक्ष में मनन करने के उपरान्त तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार से किया उचित समझता हु :–

तनकी नं0 1. आया चक 4 जी.डी.एम के खाता सं0 41 नया 845 पुराना में अंकित पत्थ नं0 1/25 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 में 0.253 है0 प्रत्येक किला नं0 21/2 में 0.120 है0, 22 में 0.012 है0, 23 ता 25 में 0.253 है0 प्रत्येक कुल 3.8190 है0 में वादी का 1/2 हिस्सा एंव प्रतिवादी नं0 1 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित काश्तकार है ? – वादी –

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था इसे सिद्ध करने के लिए वादी ने जमाबन्दी सम्वंत 2069 ता 2072 चक 4 जी.डी.एम. खाता सं. नया 41 पुराना 895 कि अपने खाता केन्द्र से जारी सत्यप्रति प्रस्तुत की है जिसमें मु. चन्दो देवी वेवाह श्योकरण, बनवारीलाल पुत्र श्योकरण कौम कुम्हार साकिन सारणी खातेदार के नाम से चक 4 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ के नाम से पं.नं. 1/25 में किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 0.2530 है0 कमाण्ड प्रत्येक किला नं. 21/2 में 0.0120 है कमाण्ड, 22/2 में 0.0120 है0 कमाण्ड, 23 ता 25 में 0.2530 है0 कमाण्ड प्रत्येक कुल 3.8190 है0 बतौर खातेदार अंकित है इसमें प्रत्येक अंकित काश्तकार का 1/2–1/2 हिस्सा माने जाने योग्य है जमाबन्दी दस्तावेज साक्ष्य है विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है तनकी नं. 1 दस्तावेजी साक्ष्य सिद्ध होने पर बहक वादी निर्णय कि जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी नं0 2. आया वादी चक 4 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ वादी ने तनकी नं0 1 में अंकित पत्थर नं0 1/25 की 3.8190 है0 कमाण्ड भूमि पर कब्जा काश्त है ?

– वादी –

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए शपुथ पत्र व गवाह बनवारीलाल पुत्र सुरजाराम के शपथ पत्र पर ब्यान करवाये है ग्वाह बनवारीलाल [illegible] ने चक 4 जी.डी.एम के पं.नं. 1/25 कि 3.8190 है0 भूमि पर शपथ [illegible] कब्जा करते ह कब्जा वादी का बताया है किसी प्रकार का प्रति[illegible] तक शपथ पत्र मागे जाने योग्य है। तनकी नं0 2 बहक वादी [illegible] जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:36:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 3. आया प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु हो चुकी है व उनकी इच्छा वादी को अपने नाम से अंकित भूमि अपनी मृत्यु उपरान्त देने की इच्छा वादी व अन्य लोगो के सामने व्यक्त की थी ? – वादी –

– लगातार 4 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी ने स्वंय के व स्वतन्त्र गवाह के ब्यान करवाये है किन्तु वादी द्वारा मु.चन्दो देवी का किसी प्रकार का साक्ष्य बाबत वसीयत प्रस्तुत नही किया मात्र जुबानी रूप से चन्दो देवी द्वारा अपने नाम की भूमि खातेदारी वादी को देने की इच्छा जाहीर करना प्रकृट किया है इसका कोई विरोध नहीं किया गया किन्तु बिना अन्य वारीसान को सुने पुष्ट साक्ष्य के अभाव में वादी यह कथन माने जाने योग्य अदालत द्वारा नहीं पाये जाते है। इस बिन्दु पर सन्देह से परे साक्ष्य नहीं आये है इसलिए तनकी नं0 3 प्रमाणित ना होने से खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

<u>तनकी नं0 4.</u> आया वादी तनकी नं0 1 में अंकित भूमि में वादी को मौखिक इच्छा अनुसार उसके (प्रतिवादी नं0 1) के नाम अंकित भूमि के खातेदार कृषक कब्जानुसार घोषित होने के पात्र है ? — वादी —

यह तनकी तनकी नं0 3 से सम्बधित है पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है मात्र कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अथवा प्रभावित पक्षकार ना तो प्रस्तुत हुआ है ना ही इसके कोई साक्ष्य आये है इसलिए यह तनकी भी सन्देह से परे सिद्ध ना होने से खिलाफ वादी निर्णय की जाती है उपरोक्त अनुसार मात्र यह सिद्ध होता है कि अंकित काश्तकार चन्दो देवी की मृत्यु हो चुकी है उसका 1/2 हिस्सा भूमि चन्दो देवी के वारिसान को उपरोधिकार में प्राप्त होने योग्य है जुबानी वसीयत सन्देह के घेरे में आती है सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से मानने योग्य नहीं है किन्तु यह तथ्य साबित है कि अंकित काश्तकार चन्दो देवी की मृत्यु उपरान्त उसकी अंकित भूमि में वादी 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्से का खातेदार बतौर वारिस घोषणा का पात्र है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः तनकी नं. 1 व 2 बहक वादी सिद्ध होने व तनकी नं0 3 व 4 मोखिक वसीयत दस्तावेजी साक्ष्य सिद्ध ना होने से खिलाफ वादी निर्णय होने पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चन्दो देवी की मृत्यु उपरान्त वादी को चन्दो देवी के नाम अंकित 1/2 हिस्सा कि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है इस प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वंत 2069–72 चक 4 जी. डी.एम तहसील सूरतगढ़ खाता सं0 नया 41 पुराना 895 के प.नं. 1/25 मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8 13 ता 18 में 0.253 है0 प्रत्येक किला नं. 21/2 में 0.0120 है0 किला नं. 22/2 में 0.0120 है0 व किला नं. 23 ता 25 में 0.253 है0 प्रत्येक इस प्रकार कुल 3.8190 है0 भूमि चन्दो देवी के नाम अंकित भूमि 1/2 में 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक वादी को घोषित किया जाता है परिणाम स्वरूप अन्य वारिसान का हिस्सा सुरक्षित रखते [illegible] श्योकरण कोम कुम्हार साकिन सारणी चक 4 जी.डी.एम पं.नं. 1/[illegible] कि[illegible]त 3.8190 है0 भूमि में उक्त खाते में पुर्व अंकित 1/2 [illegible] अर्थात कुल भूमि में वादी को 4/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है शेष 2/6 हिस्सा चन्दो देवी के नाम यथावत रहेगा। इसी अनुसा[illegible]द वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। डिकी जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

अनवानः–

बनवारी लाल पुत्र श्री श्योकरण जाति कुम्हार निवासी चक 6 सी.डी.आर. वार्ड नं0 9 सहारणी कुलचन्द्र, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। – वादी –

बनाम

1. चन्दो देवी (फौत) पत्नी श्री श्योकरण
   1/1 राणी (फौत) पुत्री श्रीमति चन्दो देवी पत्नी जसवन्त
   1/1/1 कृष्णलाल पुत्र श्रीमति राणी पत्नी श्री जसवन्त जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/1/2 कालूराम पुत्र श्रीमति राणी पत्नी श्री जसवन्त जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/2 रोशनी पत्नी हरिराम पुत्री श्रीमति चन्दो देवी जाति कुम्हार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. भगवानदर्त शर्मा (अभिभाषक वादी)
2. नायब तहसीलदार सूरतगढ़ (पैरोकार राज्य सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, एंव 209 आर.टी.ए. 1955 प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चन्दो देवी की मृत्यु उपरान्त वादी को चन्दो देवी के नाम अंकित 1/2 हिस्सा कि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है इस प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वंत 2069–72 चक 4 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ खाता सं0 नया 41 पुराना 895 के प.नं. 1/25 मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8 13 ता 18 में 0.253 है0 प्रत्येक किला नं. 21/2 में 0.0120 है0 किला नं. 22/2 में 0.0120 है0 व किला नं. 23 ता 25 में 0.253 है0 प्रत्येक इस प्रकार कुल 3.8190 है0 भूमि चन्दो देवी के नाम अंकित भूमि 1/2 में 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक वादी को घोषित किया जाता है परिणाम स्वरूप अन्य वारिसान का हिस्सा सुरक्षित रखते हुए वादी बनवारी लाल पुत्र श्री श्योकरण कोम कुम्हार साकिन सारणी चक 4 जी.डी.एम पं.नं. 1/25 कि अंकित 3.8190 है0 भूमि में उक्त खाते में पुर्व अंकित 1/2 + चन्दो देवी का 1/2 में 1/3 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में वादी को 4/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है शेष [illegible] देवी के नाम यथावत रहेगा। इसी अनुसार वाद वादी आंशिक रूप से [illegible] जाकर डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ इसी अनुसार [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

नोज..........X......मुबलिग.......[illegible]..X................खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....X.........फसदो की पालना.........X........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे। बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।